

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल

क्रमांक- 157/कोविड-19/2020

भोपाल, दिनांक 31/08/2020

//आदेश//

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1103/अजिद/2020 दिनांक 04 मई 2020 द्वारा भोपाल जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकथाम करने की दृष्टि से शासकीय कार्य संपादन हेतु रोटेशन के आधार पर 35 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति के संबंध में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 129/राजस्था/2020 दिनांक 08/05/2020 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अतः तत्काल जिला कार्यालय भोपाल में कार्यरत समस्त कर्मचारी प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 31/08/2020

पृष्ठा.क्र. - / कोविड-19/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- अपर कलेक्टर उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय-1/मुख्यालय -2 जिला भोपाल।
- 2- प्रभारी अधिकारी अधीक्षक/सहायक अधीक्षक/राजस्व स्थापना/वित्त/लायसेंस / नगरीयकल्याण/लिटिगेशन/नजूल स्थापना/भू अर्जन/आरएम/विभागीय जांच एवं आयोग /सीएमहेल्पलाइन/जिला नाजिर/स्टेशनरी/जाति जांच/आवक-जावक शाखा/जनगणना/खादय शाखा/रीडर टू कलेक्टर / जिला बदर/गैस राहत/जेसी-1/जेसी2/एससी1/एससी2/राहत शाखा/निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन/भूमिलेख/जिला शहरी विकास।
- 3- स्टेनो टू कलेक्टर भोपाल।
- 4- जिला सूचना अधिकारी भोपाल।
- 5- अधीक्षक जिला कार्यालय भोपाल।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल